
FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 12.11.2024





GAIL reported Revenue from Operations of Rs 66,622 crore for the period April – September 2024 as compared to Rs 64,050 crore in corresponding period of Financial Year 2023-24. Profit before Tax (PBT) for H1 FY25 stood at Rs 7,095 crore as compared to Rs 5,019 crore for the corresponding period in previous year. Profit after Tax (PAT) stood at Rs 5,396 crore in H1 FY25 as compared to Rs 3,817 crore in corresponding period of previous year. GAIL has witnessed its highest-ever half-yearly EBITDA, PBT & PAT in H1 FY'2025.



Tenure of six Non-Officials Directors, GAIL ending in November

As many as six Non-official Directors, GAIL (INDIA) Limited will cease to be Directors in November, 2024. They are: Akhilesh Jain, Sher Singh, Sanjay Kashyap, Nandhagopal N, Mrs Kangabamlnaocha Devi and Prof Dr Ravikant Kolhe.



पाइपलाइन पर कारखाना निर्माण से लोग भयभीत ग्रामीणों का आरोप, नियमों के विरुद्ध जारी की एनओसी

संवाद न्यूज एजेंसी।

तावडू। नूंह मार्ग पर गांव भाजलाका में भूमिगत घरेलू गैस पाइपलाइन के ऊपर कारखाने के निर्माण से स्थानीय लोग भयभीत है। यदि गैस पाइपलाइन में लीकेज हुआ तो बडा हादसा हो सकता है।

लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से आंखें बंद कर एनओसी जारी की गई। इधर प्रदूषण संबंधित मानकों का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। जहरीली गैस और धुआं निकलने से स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी है। इस संदर्भ में प्रदूषण विभाग में शिकायत भी की



पाइपलाइन पर बना कारखाना। संवाद

गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नूंह मार्ग पर गांव भाजलाका में गुड़गांव पेपर मील्स कारखाना बना हुआ है। जहां पर इस कारखाने का निर्माण किया है वहां पहले से ही गेल कंपनी की भूमिगत उच्च दबाव की घरेलू गैस पाइपलाइन बिछी हुई थी, जो गुजरात जामनगर से लोनी गाजियाबाद को जा रही है। इससे एनसीआर क्षेत्र में घरेलू गैस की आपूर्ति की जाती है।

लोगों कहना है कि कारखाने में नियम कायदों का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। इस संदर्भ में जिला योजनाकार अधिकारी बिनेश कुमार का कहना है कि संबंधित कारखाने को विभाग की ओर से एनओसी उनके पदभार ग्रहण करने पहले ही जारी की गई थी। भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछी होने का मामला संज्ञान में नहीं था। फिर भी नियम अनुसार जांच करेंगे।